अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

06 02.05.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 09 /2023 राज्य बनाम यूनुस अंसारी उर्फ जगड़ा पिता स्व० हमीद अंसारी निवासी ग्राम हुरहुरी, थाना रातु, जिला रॉंची (झारखण्ड) ....विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची के पत्रांक 206/डी०सी०बी० दिनांक 24.02.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी यूनुस अंसारी उर्फ जगड़ा पिता स्व० हमीद अंसारी निवासी ग्राम हुरहुरी, थाना रातु, जिला रॉंची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. रातु थाना कांड सं० 63/2016 दिनांक 17.03.2016 धारा 147/148/149/323/341/353/427/504 भा०व०वि० 2. रातु थाना कांड सं० 303/21 दिनांक 08.10.2021 धारा 379 भा०व०वि० 3. रातु थाना कांड सं० 139/21 दिनांक–11.05.2021 धारा–379 भा0द0वि० 4. रातु थाना कांड सं० 391/21 दिनांक 21.12.2021 धारा–413/414/411 भा0द0वि0 5. डोरंडा थाना कांड सं० 141/2012 धारा 414 भा0द0वि० 6. रातु थाना सनहा सं० 11 दिनांक 08.10.2022	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

7. रातु थाना सनहा सं० 10 दिनांक 13.10.2022

8. रातु थाना सनहा सं० 11 दिनांक 17.10.2022

9. रातु थाना सनहा सं० 37 दिनांक 01.12.2022

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी यूनुस अंसारी उर्फ जगड़ा पिता स्व० हमीद अंसारी की असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों के कारण रातु थाना अंतर्गत जमीन कारोबारियों, व्यवसायियों एवं स्थानीय उद्यमियों के बीच भय एवं दहशत व्याप्त है। वे अपने सहयोगियों के साथ रातु थाना एवं समीपवर्ती थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहता है तथा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 और अध्याय 17 के अधीन दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण में भी लगा हुआ है। विपक्षी के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज विभिन्न कांडों से सम्बंधित अपराधिक इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा भा०द०वि० के अध्याय 16 एवं 17 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया गया है। विगत तीन सप्ताह में थाना प्रभारी रातु द्वारा समर्पित सप्ताहिक गोपनीय प्रतिवेदन में इस तथ्य को अंकित किया गया है कि माननीय न्यायालय में युनुस अंसारी उर्फ जगड़ा पिता स्व० हमीद अंसारी के जमानत पर मुक्त होने के बाद उनकी अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में यह सूचना प्राप्त हो रही है कि उनके द्वारा अपने सहयोगियों के साथ रात में चोरी करने की नीयत से रेकी की जा रही है। वर्तमान समय में युनुस असारी उर्फ जगड़ा पे० स्व० हमीद अंसारी अपने सहयोगियों के साथ रातु थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं तथा लोगों को डराने–धमकाने एवं रंगदारी वसूलने का दवाब बना रहे है। उक्त दुर्दान्त अपराधी की आपराधिक गतिविधियों के कारण रातु थाना क्षेत्र में आम जनता के मन में भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त हो रहा है। ऐसे व्यक्ति से व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

(आदे)श का क्रम (सं)ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी को निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त भी ना तो इस न्यायालय मे उपस्थित हुए ना ही उन्होने कारण पृच्छा ही समर्पित किया है।

प्रस्तुत मामले मे विद्वान जिला लोक अभियोजक, रॉची ने पत्रांक 110/23 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमे उन्होने विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) कार्रवाई करने की अनुशंसा किया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी यूनुस अंसारी उर्फ जगड़ा पिता स्व० हमीद अंसारी निवासी ग्राम हुरहुरी, थाना रातु, जिला रॉची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी यूनुस अंसारी उर्फ जगड़ा पिता स्व० हमीद अंसारी निवासी ग्राम हुरहुरी, थाना रातु, जिला रॉची को दिनांक 06.05.2023 से दिनांक 05.08.2023 तक की अवधि के लिए रातु थाना, राँची में प्रत्येक दिन को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 05.05.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 06.05.2023 से दिनांक 05.08.2023 तक प्रत्येक दिन रातु थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी यूनुस अंसारी उर्फ जगड़ा पिता स्व० हमीद अंसारी निवासी ग्राम हुरहुरी, थाना रातु, जिला रॉची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति यूनुस अंसारी उर्फ जगड़ा पिता स्व० हमीद अंसारी निवासी ग्राम हुरहुरी, थाना रातु, जिला रॉची तथा संबंधित थाना प्रभारियो को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी

रॉची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी

रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 20:58:00 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9